Volume-6, No. 2 Aug.-2019, pp. Hin.32-35

सकारात्मक कार्यवाही आरक्षण का लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण पर प्रभावः पंचायती अधिनियम के सन्दर्भ में

श्री सुमित कुमार, शोधार्थी
सनातन धर्म महाविद्यालय,मुजफ्फरनगर उत्तर–प्रदेश भारत
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर–प्रदेश भारत

सारांश

मानव समुदाय के अस्तित्व से लेकर आज तक मानव समाज सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर असमान रहा है। लेकिन राजनीतिक विज्ञानवादी चिंतको का ऐसा माना है कि राज्य संस्था प्रत्येक काल में अपने से पहले काल से बहत्तर होती है। क्योकि सकारात्मक कार्यवाही ने राजनीतिक समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अर्थात् ई0पू0 सामाजिक वर्गीकरण, जिसमें राजव्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सेवा एवं दास वर्ग था, ने समाज में समानता पैदा की। वही वर्तमान समय लोकतांत्रीक व्यवस्था में राजनीतिक समानता है, क्योंकि अमीर, गरीब, पुरूष महिला आदि को समान राजनीतिक संरक्षण है। इस न्याय पूर्ण व्यवस्था को लाने के लिए अलग–अलग समय शताब्दियों में राजनीतिक चिंतक प्रयासरत रहे। जिनमें अरस्तू, मैक्यावली हॉब्स, रूसो, जे0एस0 मिल, लॉक, कार्लमार्क्स महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर आदि प्रमुख है।

मुख्य शब्द– आरक्षण, लोकतन्त्र, पंचायती अधिनियम।

सर्वप्रथम यहाँ मुद्दा आरक्षण से सम्बन्धित है, तो डॉ0 अम्बेडकर का उल्लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भारतीय समाज में व्याप्त असमानता के विरूद्ध डॉ0 अम्बेडकर ने आवाज उठाई। जिसमें उन्होनें अछूत वर्ग समुदाय के साथ महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किया। जिसमें डॉ0बी0आर0 अम्बेडकर का संविधान अंगीकार किये जाते समय सामाजिक आर्थिक विषमताओं पर प्रश्न उठाया–

''जनवरी 26 तारीख को हम अंतविरोधों के युग में प्रवेश करेगें। राजनीति में समता और सामाजिक–आर्थिक जीवन विषमता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति की कीमत एक वोट के आधार पर आँकेगें लेकिन सामाजिक और आर्थिक जगत में विषमतामूलक संरचनाओं के कारण हम एक व्यक्ति एक मूल्य के वसूल को नकारना जारी रखेगे। अंतविरोधी की इस गिरफ्त में हम कब तक फंसे रहेगें? सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम समता को कब तक ठुकराते रहेगें अगर हमने लम्बे अरसे तक समता की अस्वीकार करना जारी रखा तो इसका नतीजा हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के संकट ग्रस्त होने में ही निकलेगा।'' (स्त्रोत–कांस्टीटुएंट एसैम्बली डिबेट, खंड–दस, ऑफिशियल रिपोर्ट)

उक्त चिंता व्यक्त से डा0बी0आर0 अम्बेडकर संदेह साफ था कि समाज के दबे–कुचले, उपेक्षित समुदायों का दमन–चक्र जारी ही रहता है। उन्हें ऊपर उठने तथा अपने स्तर के सामान्यीकरण का विशिष्ट अवसर नही प्रदान किया जाता। इतिहास ने सामाजिक विषमताओं से उपजी कई क्रांतियां देखी है। चाहे वो फ्रांस की राज्य क्रांति हो तथा रूस की क्रांति अमेरिका का ग्रह युद्ध हो या चीन की क्रांति। प्रत्येक विद्रोह की पृष्ठ भूमि में सामाजिक विषमाताओं से उत्पन्न असंतोष की बडी भूमिका रही है। यदि स्वतन्त्रता पश्चात् भारत में अपेक्षित समुदायों को विशेष अधिकार नही दिये जाते तो संभवतः भारत में ग्रह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। भारत का राजनीतिक लोकतंत्र भी संकट ग्रस्त हो सकता था। इसी कारण हमारे देश के नीति–नियंताओ ने उन दमित, पिछड़े उपेक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिये उन्हें कुछ विशेष अधिकार एवं सुविधाओं का प्रावधान किया, जिसे संवैधानिक शब्दावली में सामाजिक न्याय'' का नाम दिया गया। इस सामाजिक न्याय को ही आम भाषा में हम 'आरक्षण की नीति' या 'सकारात्मक कार्यवाही' कहते है। जिसके परिणाम वर्तमान लोकतांत्रिक भागीदारी में देखे जा सकते है।

ऐसा नही है कि आरक्षण स्वतन्त्रता के पश्चात् प्राप्त हुआ हो। क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम आरक्षण की मांग दक्षिण भारत में शुरू हुई। 1895 में सर्वप्रथम मैसूर राज्य ने मिलकर कमीशन' का गठन किया गया तथा उसकी अनुंशशा पर सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में कुछ पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित किये गऐ। 1901 में महाराष्ट्र की सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण के लिए कमीशन गठित किया। जिससे पिछड़े समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था की। 1928 में बॉम्बे सरकार ने कमीशन गठित किया, जिसमें पिछड़ी जातियों को तीन वर्गों में बांटा (1) आदिम (2) दलित (3) पिछड़ी जातियाँ। 1929 में इतिहास प्रसिद्ध 'साइमन कमीशन' ने आदिम जाति को अनुसूचित जनजाति एवं दलितों हरिजनों को अनुसूचित जाति नाम से सम्बोधित किया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक एवं शैक्षिण रूप से पिछड़े वर्गों एव अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए समान अवसर प्राप्ति के लिए संविधान में धाराएँ वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) (A) में सरकारी नौकरियों में पिछड़ो के आरक्षण 16 (4) (B) में पिछड़ों के लिये सरकारी नौकरियाँ में पदोन्नति में आरक्षण अनुच्छेद–46 में राज्यों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हितों को प्रोत्साहित किया है। 330 अनुच्छेद में लोक सभा में अनु0 जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण तथा अनुच्छेद– 332 में विधान सभा में आरक्षण की व्यवस्था है। जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े समुदाय में राजनीतिक जागरूकता में बढोतरी हुई है। जिससे भारतीय सामाजिक ताना–बाना अपने आप को परिपक्वता में महसूस कर रहा है।

लोकतंत्र का वर्तमान सुदृढीकरण को ज्यादा से ज्यादा जनता की भागीदारी से प्रमाणित किया जाता है। जिसमें महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि लोकतंत्र स्थानीय स्तर पर स्थापित हो। जिससे जनता अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं शासन–सत्ता स्थापित कर सके। जिसे उन्होनें रामराज्य का नाम दिया। परन्तु डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर महात्मा गांधी इस मुद्दे पर मतभेद रखते थे, अर्थात् उनका ऐसा मानना था कि स्थानीय स्तर पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े समुदायों का सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ा पन इतना ज्यादा है कि समानता, समरसता, सहिष्णुता उत्पन्न करना अत्यंत दुर्लब कार्य है। जिसके फलस्वरूप उन्होने नीति–निर्देशक तत्वों में वर्णित पंचायत राज्य से सम्बन्धित अनुच्छेद 40 का पूरजोर विरोध किया। और अपने राजनीति प्रतिनिधित्व रहते हुए, उन्होने उसे प्रभावी नही होने दिया। लेकिन डॉ0बी0आर0 अम्बेडकर ने दलित एवं पिछडे समुदाय के राजनीति प्रतिनिधित्व एवं सरकारी नौकरियों में स्थान संरक्षित करने के लिए आरक्षण की नीति को प्रस्तावित किया। जिससे तत्कालीन पं0 जवाहर लाल नेहरू प्रभावित थे, क्योंकि नेहरू स्वयं प्रस्तावना सम्बंधित सिद्धान्त समानता, स्वतन्त्रता, बंधुता के पक्ष धर थे।

पिछले 70 वर्षो में पिछड़े एवं दलित समुदाय का ना केवल सामाजिक सशक्तिकरण हुआ बल्कि राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है। जिससे राजनीतिक विद्वानों का यह माना है कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण तब हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सामाजिक राजनीति, आर्थिक स्तर हो। क्योंकि यदि किसी एक समुदाय का प्रभाव या समृद्धि लगातार बढती चली जाऐ तो असतुष्ट समुदाय विरोध या प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जिससे लोकतंत्र के मूल्य या तो भीड़तंत्र या फिर तानाशाही साम्यवाद की ओर खिसक जाते है। महात्मा गांधी की दूरदर्शिता एवं पं0 जवहार लाल नेहरू की राजनीतिक समझ ने स्थानीय स्तर पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयास किये। जिसके फलस्वरूप 1950 के दशक में सामुदायिक कार्यक्रम के साथ–साथ पंचायती राज व्यवस्था के स्थापना के लिए बलवंत राय मेहता सीमित का गठन किया। वही व्यवहारिक रूप में, राजस्थान, एवं आंध्र प्रदेश में पंचायती व्यवस्था की स्थापना की। लेकिन सैद्धान्तिक एवं संवैधानिक रूप से पंचायतों को स्थापित करने के लिए अनेक समितियां बनी, जिनमें अशोक मेहता समिति, डॉ0 एल0एम0 सिन्धवी समिति, थुंगन समिति आदि थी। जिन्होनें अपने–अपने स्तर पंचायती राज का ढांचा तैयार किया। जिसमें पंचायत स्तरों एवं पिछडे व दलित समुदाय सहित महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान रखा। अतंतः 1990 के दशक संसद द्वारा 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन पारित कर दिया एवं लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान कर, संवैधानिक रूप प्रदान किया। पंचायती राज व्यवस्था अर्थात् स्थानीय लोकतंत्र महात्मा की परिकल्पना थी। जिस में वह मानते थे कि ''हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बस्ती है।'' अर्थात्

70 फिसदी हिंदुस्तानी समुदाय ग्रामीण स्तर पर जीवन व्यतीत करता है, तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व चंद शहरी या अभिजात लोगों द्वारा संभव नही है। ऐसा आधुनिक व्यवहार राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भी हो रही है कि लोकतंत्र का स्थानीय स्वायत्ता का सिद्धान्त ही वर्तमान व्यवहारिक लोकतंत्र का रूप होगा। जिससे या तो हम इसे सकारात्मक कार्यवाही कहे या राजनीति व सामाजिक आरक्षण का वर्तमान स्वरूप।

ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारत में स्थानीय लोकतंत्र का वर्णन मिलता है, जिसे बुद्ध–धर्म साहित्य, चोल साम्राज्य अन्य आदि प्राचीनतम ग्रंथों में देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है, चोल साम्राज्य को पंचायत प्रणाली स्थानीय स्वशासन के साथ–साथ कर–राजस्व न्यायिक विभाग का भी वर्णन है। लेकिन समयान्तर भारतीय पुरान्तन व्यवस्था को बाहरी आक्रांतो द्वारा खोखला कर दिया। जिसमें कुछ समुदाय पिछडते चले गये। जिन्हे आज दलित महादलित या पिछड़े वर्ग का तमाशा दिया हुआ है, ये वही समुदाय है, जिन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहार कर मजदूर और दास वर्ग बना दिया। परन्तु वर्तमान समय में 73वें, 74वें संविधान संशोधन से सकारात्मक कार्यवाही व्यवस्था को स्थापित किया गया है। जिससे स्थानीय स्वशासन, राजनीतिक भागीदारी एवं विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूती मिली है। क्योंकि नेहरू ने कहा था कि ''सामाजिक पिछड़ेपन को आर्थिक पिछड़ेपन से प्रतिस्थापित नही किया जा सकता।'' अर्थात् पिछड़ापन राजनीति रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार व प्रशासन के समक्ष अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसा करना अति आवश्यक है। भारत में पिछडेपन की प्रकृति सामाजिक है, और उसका तल्लुक समूहों और समुदायों से है, जिनके साथ अतीत में नांइसाफियां होती रही है। वही राजनीतिक भागीदारी पर डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर ने कहा है कि ''अन्य पिछड़े वर्ग दरअसल एक आर्थिक वर्ग न होकर जातियाँ का एक संग्रह है। संविधान भी इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि पिछड़ेपन का आधार आर्थिक नही बल्कि अनिवार्यतः सामाजिक ही होना चाहिए। संविधान सामाजिक न्याय का संबंध गरीबी से नही जोड़ता।'' अर्थात् संविधान की प्रस्तावना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता, बुधुंत्व के लिए राजनीति सामाजिक, आर्थिक स्तर पर वैधानिकता होनी चाहिए। लगातार सफलतापूर्वक स्थानीय लोकतंत्र चुनाव प्रणाली से दलित पिछडे वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ रहा है। लेकिन संसद ने 2009 में अधिनियम द्वारा महिला प्रतिनिधित्व को 50 प्रतिशत कर दिया है। क्योंकि 243(D) एवं 243(T) में ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये स्थान का संरक्षण किया गया है, जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधि का सामूहिकरण एवं समरसतावादी बनाया है। क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले विदेशी शासन–सत्ता कुछ समुदाय राजनीतिक प्रक्रिया से अलग–अलग में यद्यपि 20वीं शताब्दी में विदेशी शासन प्रणाली ने 'फूट डालो राज करो' की नीति के तहत अलग प्रतिनिधित्व देने का प्रलोभन दिया। जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी द्वारा इसका विरोध किया क्योंकि यह भारतीय समाज का एकीकरण नही अपितु विखण्ड की जड़ थी जिसके परिणाम स्वरूप उन्होने डॉ0बी0 आर0 अम्बेडकर के साथ 'पूना पैक्ट' किया। जिससे आरक्षित स्थानों की पूर्ति को स्वीकार किया। अर्थात् वर्तमान में लोकतंत्र के बुनियादी ढाँचे को सकारात्मक कार्यवाही मजबूत कर रही है।

सामाजिक समरस्ता पर सकारात्मक प्रभावः

पंचायती राज अधिनियम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ–साथ महिला प्रतिनिधित्व व स्थानीय संस्कृति संरक्षण एवं समन्वय को बढावा मिल रहा है। अर्थात् 2009 में संसद द्वारा पारित महिला प्रतिनिधित्व का 50 प्रतिशत होने का प्रावधान में बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड आदि राज्यो ने तत्परता दिखाई। क्योंकि बीमारू राज्यों एवं पहाड़ी व दुर्गम स्थानीय राज्यों में महिला समुदाय दुर्लभ राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिनिधित्व रूप में है। लेकिन राजनीतिक सक्रियता होने से आधी आबादी (महिला समुदाय) को सामाजिक ढांचे को संचालन का मौका मिल रहा है एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित किये हैं। सकारात्मक कार्यवाही से लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण में महिलाओं सहभागी अत्यंत प्रशंसनीय है वही आधुनिक दौर में डिसिटलीकरण ने केन्द्र (संघ) सहित राज्य व स्थानिक शासन प्रतिनिधित्व को एकीकृत किया है। क्योंकि देश कई हिस्सो में जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं पहाड़ियाँ के क्षेत्रों में स्थानीय शासन के नकारात्मक परिणाम सामने आऐ। जैसे दंबग

जाति धर्म के लोग का एकाधिकार, महिला प्रतिनिधित्व का कटपुतली के रूप में परिवार वाले द्वारा उपयोग आदि। लेकिन डिजिटल प्रणाली से सूचना संचार के प्रभावीकरण से अनियमिताओं पर काबू पाया जा रहा है।

अतंत सकारात्मक कार्यवाही का राजनीतिक व सामाजिक रूप से ही सशक्तीकरण ही नही है, बल्कि सामाजिक बुराई जैसे बाल विवाह, दहेज, महिला शिक्षा व सुरक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवा की माली हालत आदि पर प्रभावी कार्य किया जा रहा है क्योंक महिला प्रतिनिधित्व होने से महिला शिक्षा, सुरक्षा स्वास्थ्य को पंचायत स्तर पर प्रस्तुतीकरण हो रहा है क्योंकि शिक्षा व स्वास्थ्य का महिलाओं में नजदीकी सम्बन्ध है। क्योंकि ग्रामीण स्तर महिला किशोरों में मासिक चक्र, शौचालय, संक्रमित रोगो पर संम्प्रेषण बेहद मुश्किल है। जिससे छात्रा का स्कूल डॉप का बढना संक्रमित रोगो से ग्रहस्ति होने असमय मृत्यु आदि घटनाएं बेहद सामान्य है। वही दलित व पिछड़े समुदाय को आरक्षण देने से जातिगत समरसता बढ रही है, जिससे जाति वाद व अभिजात शुद्र का सिद्धान्त टूट रहा है। क्योंकि यदि किसी समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधि मौका नही मिलेगा, तो वह समाज की समरसत्ता के साथ तरक्की नही कर सकता और यह पिछड़ापन एक समय पर आकर असंतोष व विद्रोह का रूप ले लेगा। जिससे लोकतंत्र ही नही इससे भी बेहतर व्यवस्था का कर पाना मुश्किल है। परन्तु लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण में सकारात्मक कार्यवाही आरक्षण ने भारत जैसे तीसरी दुनिया में वर्तमान की विश्वभर शासन प्रणाली लोकतंत्र की जड़ो मूल्यों को मजबूत किया है। परन्तु सकारात्मक कार्यवाही ने अपना लक्षित लक्ष्य पूर्ण से प्राप्त नही किया है, जिसके केन्द्र व राज्यों के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं गैर–सरकारी संगठन द्वारा शोध, अनुसंधान संगोष्ठी लोक नाटक, रैली, अभियानों, ग्रामीण या पंचायती आयोजन कर भारतीय समाज को समरसत्ता, सहिष्णुता की ओर अग्रसर करना चाहिए।

''मानव समुदाय पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान समुदाय है जिसमें प्रत्येक मानव को गरीमा पूर्ण एवं स्वतन्त्रतापूर्ण जीवन जीने पूर्ण कालिक अधिकार है।''

सन्दर्भ

1. शर्मा, बी0एम0 शर्मा, शर्मा राम कृष्ण दत्त आदि, भारतीय राजनीतिक विचारक, रावत पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली 2005
2. कांस्टीटुएंट एसैम्बली डिबेट, खंड–दस ऑफिशियल रिपोर्ट
3. भारतीय संविधान, सेन्ट्रल लॉ, पब्लिकेशन 107 दरभंगा कलौनी इलाहाबाद 2014
4. महीपाल, पंचायती राज, चुनौती एवं सम्भावनाएं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया 2012
5. डिजिटल होता ग्रामीण भारत, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2017
6. गांवों में बुनियादी ढांचा कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2016